

उत्तर प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु आवेदन की प्रक्रिया-

उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ

विश्वविद्यालय/परिसर दूरस्थ केन्द्र की स्थापना हेतु आवेदन-पत्र का प्रारूप

1. 1. प्रायोजक संस्था का नाम एवं पता-
 2. पत्राचार का पता-(अधिकतम 100 शब्द)
जनपद-.....मण्डल.....
 3. प्राधिकृत अधिकारी का नाम.....
पदनाम.....
मोबाइल नं0.....
ई-मेल आईडी0.....
2. 1. प्रस्तावित विश्वविद्यालय अथवा परिसर दूरस्थ केन्द्र का नाम एवं पता-.....
(परिसर/दूरस्थ केन्द्र)
 2. पत्राचार का पता-.....(अधिकतम 100 शब्द)
3. 1. प्रायोजक संस्था के पंजीकरण की संख्या व तिथि (संलग्नक-02 पेज)
 2. नवीनीकरण की तिथि
 3. संस्था का स्वरूप: ट्रस्ट/सोसायटी/कम्पनी (ट्रस्ट/सोसायटी/कम्पनी,बाईलाज अपलोड किया जाय)
4. प्रायोजक संस्था की वित्तीय स्थिति:-
 1. प्रायोजक संस्था के आय के स्रोत -
 - (1) शुल्क
 - (2) दान
 - (3) ऋण
 - (4) यूजर चार्ज
 - (5) अन्य (लिखने का स्पेस)
 - 2 विगत तीन वर्षों के सम्परीक्षित लेखे के अनुसार वर्षवार कुल आस्तियों एवं देनदारियों का अनुपात

वर्ष	आस्तियां	देनदारियां	अनुपात
1			
2			

3			
कुल			

3. गत तीन वर्षों की समाप्ति पर शुद्ध मूल्य $\frac{1}{4}$ Net Worth $\frac{1}{2}$ (अधिकतम 12 अंक तक)
4. गत तीन वर्षों का ऋण- इक्विटी अनुपात
- 5 नियमावली के नियम 7 (ग) के बिन्दु एक, दो, तीन व चार पर सूचनाएं। (नियमावली का नियम 7(ग) लिंक में उपलब्ध हो)
- 1 प्रायोजक निकाय की कुल आस्तियां, उसकी कुल देनदारियों से अधिक हैं/कम हैं/बराबर हैं
शुद्धमूल्य धनात्मक है/नहीं है
ऋण का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है। हाँ/नहीं
गत तीन वर्षों के दौरान ऋण इक्विटी अनुपात निरन्तर घटता रहा है। हाँ/नहीं
 - 2 प्रायोजक निकाय द्वारा आगामी तीन वर्षों में कितना अपेक्षित व्यय
 - 3 गत तीन वर्षों एवं आगामी तीन वर्षों का वर्षवार आय-व्यय तथा अधिशेष का विवरण।

गत 03 वर्ष

वर्ष	आय-व्यय	अधिशेष
1		
2		
3		
कुल		

आगामी 03 वर्ष

वर्ष	आय-व्यय	अधिशेष
1		
2		
3		
कुल		

- 4 निजी विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन हेतु प्रायोजक निकाय की अद्यतन वित्तीय व्यवहार्यता। हाँ/नहीं

6. विश्वविद्यालय संचालन हेतु प्रायोजक संस्था की वित्तीय सबलता के सम्बन्ध में प्रायोजक संस्था के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र की उपलब्धता हॉ/नहीं

(अपलोड करने हेतु फाइल स्पेस 10 पेज)
(सी0ए0 के नाम व तिथि सहित)

7. संस्था द्वारा किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त किया गया है हॉ/नहीं

ऋण-प्रदाता संस्था

ऋण की धनराशि

अवशेष ऋण

बन्धक रखी गयी सम्पत्ति- भूमि आदि का विवरण

नियमावली के नियम-11 परिशिष्ट-6 के अनुसार संस्था द्वारा शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा।

(नियमावली का नियम 7(ग) एवं नियम-11 परिशिष्ट-6 लिंक में उपलब्ध हो)
(शपथ-पत्र अपलोड किया जायेगा)
(संलग्नक-02 पेज)

5 विश्वविद्यालय की स्थापना का क्षेत्र:- नगरीय है या ग्रामीण (नगरीय/ग्रामीण)

यदि नगरीय क्षेत्र में हो, तो:

क-नगरीय क्षेत्र का परिभाषित क्षेत्र..... (नियम...के अनुसार) (शासनादेश दिनांक 25-1-2020

लिंक किया जाय)

नगर निगम

नगर पालिका परिषद्

नगर पंचायत

महानगरीय क्षेत्र

विकास प्राधिकरण

विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण

विनियमित क्षेत्र

औद्योगिक विकास प्राधिकरण

ख- अधिसूचना सं0 व दिनांक (प्रति संलग्नकी जाये) (अधिसूचना अपलोड की जाय)

6 भूमि की उपलब्धता: (नियम 6 के क, ख एवं ग में किसी एक आप्शन को ही उक्त नियम 5 के अन्तर्गत प्रदर्शित किया जायेगा)

क- यदि भूमि ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत है:-

1. ग्राम/ ग्रामों के नाम.....तहसील....

सम्मिलित गाटाओं की संख्या.....

2. प्रस्तावित क्षेत्रफल..... (एकड़ अधिकतम 04 अंक)

3. निर्विवाद स्वामित्व विषयक उपजिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र..... (प्रमाण-पत्र अपलोड की जाय) (02 पेज)

4. खतौनी की प्रमाणित प्रति के अनुसार प्रस्तावित गाटों का स्वामित्व..... (**खतौनी की प्रमाणित प्रति अपलोड की जाय**) (200 पेज)

5. प्रस्तावित समस्त गाटों की संयुक्तता का उपजिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र के आधार अनुसार संयुक्तता की स्थिति..... (02 पेज)

6. प्रस्तावित भूमि को दर्शित करते हुये उपजिलाधिकारी द्वारा प्रमाणित राजस्व मानचित्र संलग्न किये जाने की स्थिति.....(**उपजिलाधिकारी द्वारा प्रमाणित राजस्व मानचित्र अपलोड किया जाय**)

(प्रस्तावित भूमि एक से अधिक ग्रामों में होने की दशा में सभी ग्रामों का पृथक-पृथक व एक संयुक्त राजस्व मानचित्र संलग्न किया जाये)

7, मुख्य मार्ग से जुड़े संपर्क मार्ग की चौड़ाई का विवरण.....(मीटर में) (अधिकतम 03 अंक)

8. प्रस्तावित भूमि के मध्य स्थित शासकीय भूमि का विवरण:-

विस्तृत विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जाये:-

(i) उप जिलाधिकारी द्वारा प्रमाणित राजस्व मानचित्रों में प्रदर्शित यदि वे विनिमय योग्य हो तो हरे रंग से तथा विनिमय योग्य न होने की दशा में लाल रंग से प्रदर्शित की जाय। (मानचित्र अपलोड)

(ii) सरकारी/सार्वजनिक उपयोग की भूमि का विवरण निम्नानुसार तालिका में भी प्रस्तुत किया जाय-

क्र०सं 0	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (एकड़ में)	नवैयत	अभ्युक्ति-विनिमय योग्य है अथवा नहीं?
1	2	3	4	5

(iii) प्रायोजक निकाय द्वारा सरकारी/सार्वजनिक उपयोगिता वाली भूमि के विनिमय हेतु प्रस्तुत किये गये वाद/आवेदन-पत्र का विवरण एवं अद्यतन स्थिति। (200 शब्द)

ख- यदि प्रस्तावित भूमि विकास प्राधिकरण अथवा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित है-

निम्नांकित अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न की जायें-

(1) सम्बन्धित नगरीय निकाय की अधिसूचना संख्या एवं दिनांक

- (2) प्रायोजक निकाय के नाम से निर्गत आवंटन पत्र। (संलग्नक-03 पेज)
- (3) प्राधिकरण द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख/आवंटन लीज डीड। (संलग्नक-200 पेज)
- (4) कब्जा प्रमाण-पत्र। (संलग्नक-01 पेज)
- (5) प्रस्तावित भूमि पर सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा निर्गत विश्वविद्यालय या परिसर दूरस्थ केन्द्र की स्थापना हेतु प्राधिकरण अनापत्ति पत्र। (अद्यतन) (संलग्नक-02 पेज)
- (6) प्रस्तावित भूमि के भूखण्डों के संलग्न (Contiguous) होने का प्रमाण-पत्र। (संलग्नक-02 पेज)
- (7) प्रस्तावित भवन निर्माण मानचित्र पर प्राधिकरण की स्वीकृति दिनांक..... या (मानचित्र अपलोड)
- (8) प्रस्तावित स्थल पर पूर्व में ही भवन निर्मित होने की दशा में उस भवन में विश्वविद्यालय या परिसर दूरस्थ केन्द्र के संचालन हेतु प्राधिकरण की अनापत्ति का दिनांक..... (संलग्नक-02 पेज)

(उक्त बिन्दु 1 से 8 के अभिलेख अपलोड किये जायें)

ग- प्रस्तावित भूमि नगरीय क्षेत्र में स्थित होने परन्तु किसी प्राधिकरण द्वारा आवंटित न होने की दशा में-

(निम्नांकित अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न की जायें-)

- (1) यदि प्रस्तावित भूमि नगरीय क्षेत्र की परिभाषा से आच्छादित हो तो सम्बन्धित नगरीय निकाय/विकास प्राधिकरण आदि की अधिसूचना की उस संस्था के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि जिसमें प्रस्तावित भूमि के उस निकाय क्षेत्र में सम्मिलित होने की स्पष्ट जानकारी दी गयी हो। (संलग्नक-05 पेज)
 - (2) स्वामित्व विषयक नगर निकाय के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि (संलग्नक-02 पेज)
 - (3) प्रायोजक निकाय द्वारा धारित भूमि के सभी गाटों/ सम्पूर्ण क्षेत्रफल की परस्पर संयुक्तता का प्रमाण-पत्र जो उप जिलाधिकारी से अनिम्न स्तर के अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। (संलग्नक-03 पेज)
 - (4) उप जिलाधिकारी/नगरीय निकाय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित राजस्व मानचित्र जिसमें प्रायोजक निकाय द्वारा प्रस्तावित भूमि को स्पष्ट रूप से पीले रंग से दर्शाया गया हो। (मानचित्र अपलोड)
 - (5) प्रस्तावित भूमि पर निजी विश्वविद्यालय या परिसर दूरस्थ केन्द्र की स्थापना एवं संचालन हेतु विकास प्राधिकरण/नगर निकाय/विनियमित क्षेत्र आदि का अनापत्ति पत्र। (संलग्नक-03 पेज)
- (उक्त बिन्दु 1 से 5 के अभिलेख अपलोड किये जायें)**

7 **भूमि की संलग्नता पर टिप्पणी:-**

क्या प्रस्तावित भूमि किसी मार्ग/नाला/सड़क आदि से विभाजित है? यदि, हाँ तो क्या वह नियम-5 में वर्णित प्राविधानों से आच्छादित होगी? (हाँ/नहीं)

_यदि हां, तो नियम-5 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की गयी है। (हाँ/नहीं)
यदि हां, तो शपथ-पत्र अपलोड किया जाय।

(उक्त नियम-5 का लिंक उपलब्ध हो)

8 प्रायोजक संस्था द्वारा 12.5 एकड़ से अधिक भूमि क्रय किये जाने की दशा में सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त किये जाने की प्रास्थिति:

क-द्वारा प्रदत्त अनुमति का दिनांक.....(अभिलेख अपलोड किये जायें) (संलग्नक-03 पेज)

अथवा

ख- राजस्व विभाग के आदेश संख्या-11/2021/928/एक-1-2021-रा0-1 दिनांक 26 अक्टूबर, 2021 के अन्तर्गत कृत कार्यवाही का विवरण (अभिलेख अपलोड किये जायें) (संलग्नक-03 पेज)

9 यदि भवन पूर्व से विद्यमान हो, तो भवन की उपलब्धता एवं अवस्थापना सुविधाओं का विवरण

1. भवन का निर्मित क्षेत्रफल:

क- शैक्षिक कार्यो हेतु.....वर्ग मी0 (अधिकतम 06 अंक में)

ख-प्रशासनिक कार्यो हेतु....वर्ग मी0 (अधिकतम 06 अंक में)

कुल क्षेत्रफल:वर्ग मी0 (अधिकतम 07 अंक में)

2 सक्षम आर्किटेक्ट द्वारा प्रमाणित भवन का मानचित्र (संलग्न किया जाये)(मानचित्र अपलोड किये जायें)

3 उपजिलाधिकारी द्वारा प्रमाणित भवन का ऐसा नक्शा जिसमें भवन निर्माण को प्रस्तावित भूमि की गाटा संख्याओं पर Project कर दर्शाया गया हो, को संलग्न किया जाये.....) (मानचित्र अपलोड किये जायें)

4 प्रस्तावित भवन में निजी विश्वविद्यालय या परिसर दूरस्थ केन्द्र के संचालन हेतु विकास प्राधिकरण/नगर निकाय की अनापत्ति.....)(अनापत्ति अपलोड किये जायें) (संलग्नक-03 पेज)

5 भवन के सरकारी भूमि पर निर्मित होने के विषय में घोषणा संलग्न की जाये।)(100 ₹ के स्टाम्प पेपर पर घोषणा अपलोड किये जायें) (संलग्नक-02 पेज)

10 प्रायोजक संस्था के पास शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों, यदि हो, को सम्मिलित करते हुए शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता.....

(1) शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की उपलब्धता (हाँ/नहीं)

यदि हांतो उसका विवरण निम्नवत दिया जाय-

शैक्षिक कर्मचारियों की संख्या	शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की संख्या	शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता
1	2	3

11 विश्वविद्यालय के क्रियाशील होने से पूर्व विश्वविद्यालय परिसर के विकास, प्रस्तावित निर्माण

कार्य एवं विकसित की जाने वाली अवस्थापना सुविधाओं तथा आवश्यक उपकरणों आदि के क्रय की विस्तृत योजना व प्रथम पाँच वर्षों का चरणबद्ध कार्यक्रम.....

विविध मद	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष
शैक्षणिक, प्रशासनिक, प्रयोगशाला निर्माण (वर्ग फुट में)					
हास्टल (वर्ग फुट में)					
भवन निर्माण (वर्ग फुट में)					
उपकरण का क्रय (लागत रू0में)					
अवस्थापना सुविधाएं (लागत रू0 में)					
अन्य					

12 अगले पाँच वर्षों में पूंजीगत व्यय के लिए चरणबद्ध परिव्यय तथा उसके वित्त पोषण के स्रोत.....

वर्ष	चरणबद्ध परिव्यय (रू0 में)	वर्ष
1		
2		
3		
4		
5		

13 विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित शैक्षिक एवं शोध कार्यक्रमों का विवरण तथा प्रदेश के विकास व रोजगार की आवश्यकताओं के सापेक्ष इनकी प्रासंगिकता, तथा प्रथम पाँच वर्षों में इन कार्यक्रमों की फेजिंग वर्षवार नामांकन के लक्ष्य सहित.-----

वर्ष	कार्यक्रम का विवरण (अधिकतम 200 शब्द)	नामांकन के लक्ष्य
1		
2		
3		

4		
5		

14 सम्बन्धित डिसिप्लिन्स (disciplines) में, प्रायोजक संस्था के पास उपलब्ध अनुभव एवं निपुणता (हाँ/नहीं)

15 प्रस्तावित सुविधाओं, पाठ्यचर्या शोध जिनको आरम्भ किया जाना है -

1
2
3
4-----

16 अनुमानित आर्वतक व्यय पाठ्यचर्यावार या गतिविधिवार (activity wise) वित्त पोषण के स्रोत तथा अनुमानित व्यय प्रति छात्र-----

1	अनुमानित आर्वतक व्यय पाठ्यचर्यावार गतिविधिवार (activity wise)	
2	वित्त पोषण के स्रोत	
3	अनुमानित व्यय प्रति छात्र	

17 साधन जुटाने की योजना (mobilization of resources) व पूंजी (cost of capital) तथा इन साधनों की अदायगी की योजना-----

1	साधन जुटाने की योजना (mobilization of resources) व पूंजी (cost of capital)	इन साधनों की अदायगी की योजना

18 निधि (funds) के आन्तरिक सृजन (internal generation) की योजना

1	मद	धनराशि करोड़ में
2	शुल्क	
3	दान	
4	ऋण	
5	यूजर चार्ज	
6	अन्य (लिखने का स्पेस)	
	योग	

19

प्रस्तावित फीस ढांचा तथा इकाई लागत (unit cost) में शामिल व्यय के विवरण, गरीब छात्रों, विकलांग छात्रों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ी जाति के छात्रों के लिए फीस में प्रस्तावित छूट/रियायत, छात्रवृत्ति आदि का विवरण

1	मद का नाम	प्रति छात्र प्रस्तावित शुल्क का विवरण
---	-----------	---------------------------------------

फीस में प्रस्तावित छूट/रियायत, छात्रवृत्ति आदि का विवरण-

1	गरीब छात्रों के लिये	
2	विकलांग के लिये	
3	अनुसूचित जाति के लिये	
4	अनुसूचित जनजाति के लिये	
5	पिछड़ी जाति के लिये	

20

विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों एवं शोध विषयों में छात्र प्रवेश हेतु प्रस्तावित चयन पद्धति

प्रवेश हेतु विज्ञापन	
आवेदन पत्रों की छटाई	
प्रवेश परीक्षा का आयोजन/योग्यता आधारित चयन/साक्षात्कार	
काउंसलिंग	
अंतिम प्रवेश सूची तैयार किया जाना	
छात्रों को प्रवेश की सूचना दिया जाना	
अभिलेखों का सत्यापन	
शुल्क का भुगतान	
नामांकन	

21

विश्वविद्यालय में शिक्षकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावित पद्धति-योग्यता आधारित/प्रतियोगी परीक्षा

22

यदि विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम संचालित करना चाहती है तो प्रस्तावित अध्ययन केन्द्रों का विवरण.....(हां/नहीं)

यदि हां -

1	जनपद का नाम	प्रस्तावित अध्ययन केन्द्रों की संख्या
2		
3		
4		
5		

23 यदि विश्वविद्यालय स्थानीय अनुभूत आवश्यकताओं के दृष्टिगत कोई कार्यक्रम संचालित करना चाहती है तो इस हेतु प्रस्तावित विशिष्ट शिक्षण, प्रशिक्षण या शोध गतिविधियां.....(हां/नहीं)

यदि हां, तो विवरण-

1	कार्यक्रम का नाम	विवरण
2		
3		
4		
5		

24 यदि विश्वविद्यालय किसानों, महिलाओं तथा उद्योगों के लिए कोई कार्यक्रम प्रस्तावित करती है तो उसका विवरण.....(हां/नहीं)

यदि हां तो विवरण-

1	कार्यक्रम का नाम	विवरण
2		
3		
4		
5		

25 विश्वविद्यालय में खेल-कूद से सम्बन्धित क्रीड़ा स्थल व अन्य सुविधाओं व कार्यक्रमों तथा एन0सी0सी0, एन0एस0एस0, स्काउट एवं गाइड आदि प्रशिक्षण गतिविधियां का विवरण.....

1	नाम	विवरण
2		
3		
4		
5		

26 शैक्षणिक सम्परीक्षा ¼academic auditing½ के लिए प्रस्तावित व्यवस्था -----

-

27 विश्वविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता का औचित्य -----

1	
2	
3	
4	
5....	

....	
------	--

28 विनियामक निकाय (academic auditing) के नियमों/मानकों को पालन करने की बचनबद्धता.....

(100 रू0 के स्टाम्प पेपर पर घोषणा अपलोड किये जायें) (संलग्नक-02 पेज)

29 अन्य ऐसा विवरण जो प्रायोजक संस्था देना चाहें.....

1	विवरण
2	
3	
4	
5	

30 ऐसे अन्य विवरण जो कि अधिनियम/नियमावली के अन्तर्गत अपेक्षित हों

1	विवरण
2	
3	
4	
5	

1.आवेदन का दिनांक:

2.संलग्नकों का विवरण:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम -

पदनाम-